1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

कोषागार पदाधिकारी
औरंगाबाद

Admissible under ... stamped under the ... Act, 1899, ... by

... under the Bihar ... Improvement Trust ...

Registrar ...

लेखकारी गणना का नाम १ श्री राम प्रसाद यादव
२ श्री किशोरी यादव ३ श्री राम प्यारे यादव
४ श्री राम विलास यादव एवं ५ श्री
जय कुमार यादव पिता स्व० राम भजन

Sold To Sri Urmila Devi w/o Sri Anil Kr.
Vill. Arai Keshopur P.S. Afari Dist. GAYA
Stamp For Sale deed

Details of Stamp

Stamp for Rs 1000×1 = 1000=00
" 750×1 = 750=00
" 100×1 = 100=00
" 50×1 = 50=00
" 40×1 = 40=00
" 3×2 = 6=00
1946=00

24/12/89

रामप्रसाद यादव
रामभगत यादव
कलेरे
भगवानगंज कलकाल
कृषि
के अधीन
२.१२.८९

स. रामप्रसाद यादव वा.
छुद्रयादव स. छुद्रयादव
मोकिर निसानि मेरे सामने
बनवा ता ५-१२-८९

उपरोक्त के हस्ताक्षर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
२.१२.८९

बी. रामप्रसाद यादव तथा [illegible] यादव, रामप्यारे
पिता यादव, रामविलास यादव, [illegible] यादव
निवास
जाति
देशा
जिन के पहचान की
[illegible] यादव
[illegible] यादव
[illegible] निष्पादित की

२.१२.८९

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु.

Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

Sold To Sri Umila Devi ... Sri
Vill. ... P.S. ... Dist
Stamp For ...

Details of Stamp

Stamp worth 1946-a



Stamp Clerk, Arbal 24/10/89

राम प्रसाद यादव वा छदुयादव

५-१२-८७

किशोरी यादव वा छदुयादव

५-१२-८७

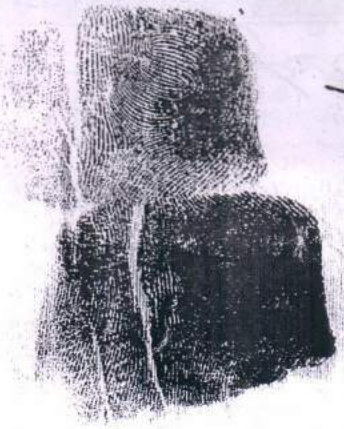

राम प्यार यादव वा छदुयादव

५-१२-८७

५/१२

राम विलास यादव वा छदुयादव

५-१२-८७



गय कुमार यादव वा छदुयादव

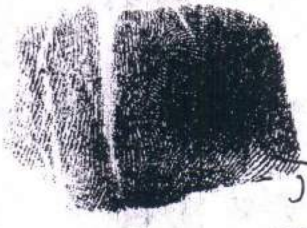

स० छदुयादव मोकिलन को पहचान है

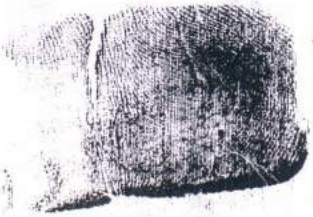

मेरे सामने [illegible] छदुयादव

मोकिलन को पहचान है छदुयादव

५-१२-८७

५-१२-८७


INDIA NON JUDICIAL
१०० रु.
Rs 100
सत्यमेव जयते
भारत
एक सौ रुपये
ONE HUNDRED RUPEES



दीवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर - औरंगाबाद

दीवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर - औरंगाबाद

नाम मालकी - विवरण सरकार अंतर्गत - वर्णनी

अर्ज - विवरण

१ सब जे कि उपरोक्त विवरण - वादकर्ता तथा अर्ज वादीतर्फे वकील [illegible] हे विवरण - ५ मे [illegible] दिनांक ११-११-१९९६ रोजी [illegible] १ [illegible] ५३/१९९८ अर्ज [illegible] हे [illegible] दाखल [illegible] १९९६ रोजी [illegible] [illegible] [illegible]



चालीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

FORTY RUPEES

४०रु.

40RS

2 यह कि राम भजन यादव के स्वर्गवास के बाद उनकी पूरी सम्पत्ति पर लेख्यकारीगण का सम्मीलित रूप से पूर्ण स्वामित्व तथा आधिपत्य प्राप्त हो गया परन्तु नाम अभी तक लेख्यकारीगण के पिता स्व० राम भजन यादव का किला ~~[illegible]~~ के अवैध कार्यालय में अंकित है तथा रसीद भी स्व० राम भजन यादव के नाम से कटती आ रही है जिसका डिमाण्ड नं० ४२ है।

3 यह कि लेख्यकारीगण अपनी आवश्यकताओं के वशीभूत होकर अपने स्वस्थ मन तथा पूरी एवम् स्वच्छ मस्तिष्क की हालत में अपने लाभ एवम् हानि को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त सम्पदा को

स० रामप्रसाद यादव नं० ८२-८६-८ [illegible]



ह.दे.वि.

4 यह विकल्प प्रदान किया जाता है कि वह 2000/- रु. का किराया प्रतिमाह किरायेदार द्वारा अपने निवास हेतु उक्त मकान पर लिया जाए तथा वर्तमान 9,000/- रु. प्रतिमाह किराया एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगी तथा किरायेदार को मकान खाली करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।

5 यह भी आदेश दिया जाता है कि अतिरिक्त किराया प्रतिमाह किरायेदार द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख को मकान मालिक को दिया जाएगा। उक्त किराया प्रतिमाह की 7 तारीख को मकान मालिक को न देने की स्थिति में किरायेदार को मकान खाली करने हेतु नोटिस दिया जा सकेगा।

6 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

7 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

9 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

10 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

11 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

12 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

13 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

14 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

15 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

16 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

17 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

18 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

19 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

20 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

21 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

22 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

23 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

24 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

25 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

26 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

27 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

28 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

29 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

30 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

31 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

32 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

33 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

34 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

35 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

36 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

37 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

38 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

39 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

40 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

41 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

42 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

43 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

44 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

45 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

46 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

47 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

48 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

49 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

50 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

51 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

52 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

53 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

54 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

55 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

56 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

57 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

58 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

59 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

60 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

61 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

62 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

63 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

64 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

65 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

66 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

67 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

68 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

69 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

70 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

71 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

72 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

73 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

74 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

75 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

76 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

77 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

78 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

79 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

80 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

81 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

82 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

83 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

84 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

85 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

86 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

87 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

88 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

89 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

90 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

91 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

92 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

93 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

94 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

95 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

96 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

97 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

98 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

99 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

100 यह भी आदेश दिया जाता है कि किरायेदार द्वारा मकान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।



INDIA

तीन रुपये

सत्यमेव जयते

THREE RUPEES भारत THREE RUPEES

उनके उत्तराधिकारी से हस्तांतरित होकर लेखपाल तथा उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो गया एवं सदा प्राप्त होता रहेगा।

६ यह कि अब लेखपाल को चाहिए कि उपरोक्त सम्पदा पर आज की तिथि से इसी स्वामित्व की हैसियत से रहेंगे तथा उस पर अपना मन पसन्द मकान बन-वाकर स्वयं रहें या किसी के साथ किराया पर लगायें या अपने आवश्यकता-नुसार जिस कार्य में लाना चाहें लायें तथा अपना नाम किला सरकार के अंचल कार्यालय, गया नगर निगम तथा औरंगी जहाँ-जहाँ आवश्यक समझें अंकित करा लेंगे।

स. रामप्रसाद यादव बाल
ओ० सहायक पु-१२-२

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार
सरकार
प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **06092021025951099045**
(Receipt No.)

जिला:- **Gaya**	अंचल:- **Sadar Gaya**
हल्का:- **कलेर**	मौजा :- **कलेर**
जमाबंदी सं0:- **152** भाग वर्तमान:- **13** पृष्ठ संख्या:- **2097**	मौजा/थाना सं0:- **334**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **उर्मिला देवी** अभिभावक का नाम:- **अनिल कुमार**	पता:- **KALER ,**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
107	1122	0 एकड़ 27 डिसमील 0 हेक्टर

Without Prejudice

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वितीय वर्ष का

वितीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	7.25	0.00	7.25	0.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022
कुल	12.25	0.00	12.25	0.00	20.00	2021-2022 से 2021-2022

वसूली

वितीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	5.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	7.25	10.00	2021-2022 से 2021-2022	
कुल	0.00	12.25	20.00	2021-2022 से 2021-2022	

कुल बकाया-20.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Twenty Rupees

तिथि- **06-09-2021**

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

बिहार सरकार

12/10/2021

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 13 पृष्ठ संख्या : 2097 जमाबन्दी संख्या : 152 कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या : 196149500018095

जिला का नाम :	Gaya	अनुमंडल नाम :	Gaya Sadar	अचंल का नाम :	Sadar Gaya	हलका का नाम :	कलेर
मौजा का नाम :	कलेर	होल्डिग संख्या :	N/A	तौजी संख्या :	0	थाना नंबर :	334

उर्मिला देवी , सौहर / पति-अनिल कुमार, जाति- N/A

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
107	1122	0 ए 27 डि 0 हे	पू०: प०: उ०: द०:	n/a	5	0
	कुल परिमान	0 ए 27 डि 0 हे				

अंतिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
2017-04-19	751821	2017	2018	0
2019-01-26 11:35:06.0	0964666927	2018-2019	2018-2019	0
2020-12-15 15:28:23.0	0644256047	2019-2020	2020-2021	5
2021-09-06 15:01:21	06092021025951099045	2021-2022	2021-2022	0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें|

Serial No. 3043 (Munc.Corp.) Circle:-:Gaya Book No. :- 1 Deed No. 2964

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

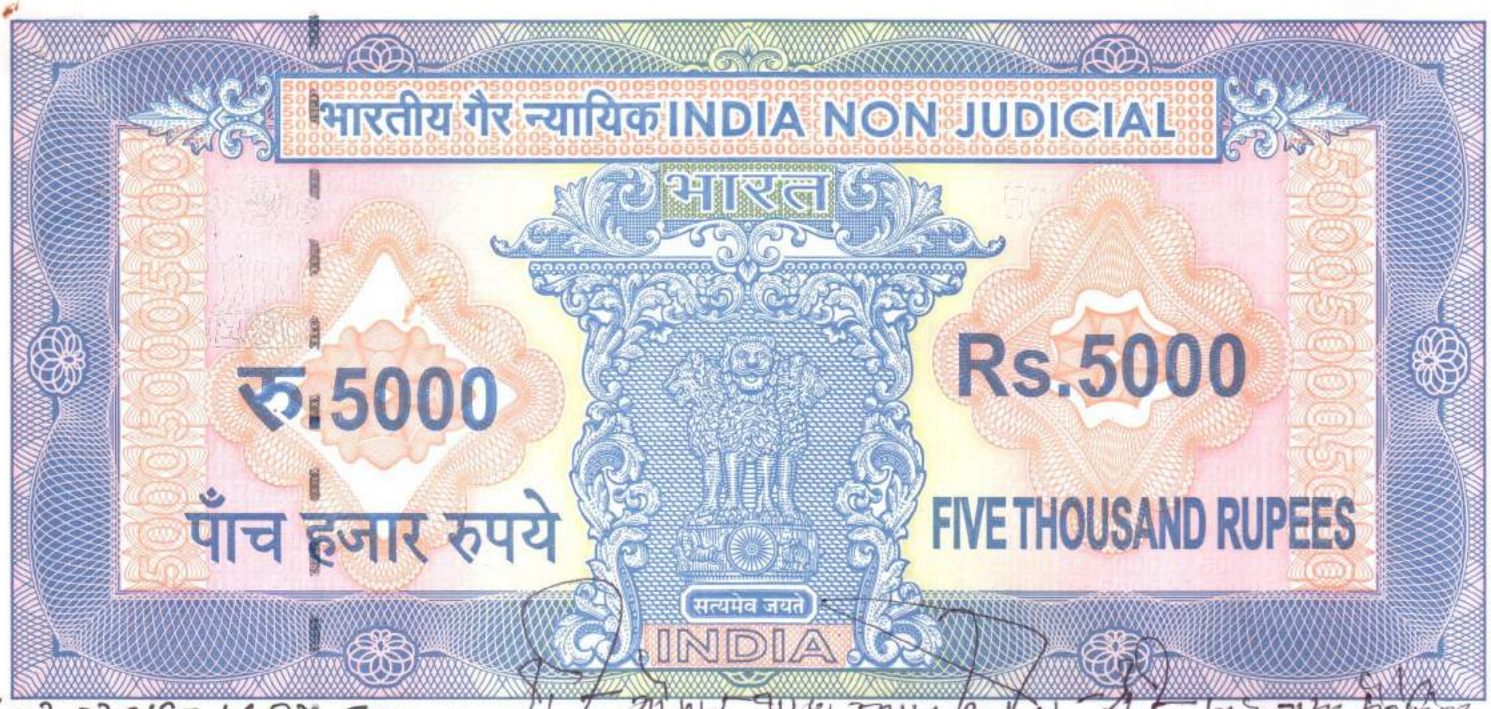

16.2-2019-1687-5000

बिहार BIHAR

A 027658

Serial No. 3043

Deed No. 2964

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय, गया

सितवीया देवी
मुद्रांक विक्रेता
क्रमांक- 15(1) 2001

06 FEB 2019

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक 18/02/2019 को Urmila Devi द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रू0 346100 मुद्रांक शुल्क एवं रू0 21500 निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राहय पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 2964 के रूप में पुस्तक सं0 1 की जिल्द सं0 44 के पृष्ठ सं0 1 से 15 तक CD 7 में आज निबंधित एवं कुल 15 पृष्ठों में संधारित किया गया ।

दिनांक- 18/02/2019 टोकन नं. 3093/2019

रीवा चौधरी
निबंधन पदाधिकारी

18.2.19

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 18.02.2019 को श्रीमती उर्मिला देवी उम्र 64 वर्ष धर्मपत्नी श्री अनिल

District Registry Office,Gaya

Token Number 3093 Reg. Year 2019 Serial Number 3043 Deed Number 2964

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Gharaunda Buildcon Pvt Lmt						
Sig.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Claimant	Gopal Sharan Bhartiy (M.D)						
Sig.	18.02.2019						
Presented By	Urmila Devi						
Sig.	18.02.2019						
Executant	Urmila Devi						
Sig.	18.02.2019						
Identified By	Suman Kumar						
Sig.	18/2/2019						

18/02/2019

कुमार शर्मा निवासी ग्राम अरई केशोपुर, थाना अतरी, जिला गया, पिन नं० 823311 पेशा गृहिणी, नागरिकता भारतीय जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है । आधार नं० 3054 8732 0400 PAN - BXSPB8158C MOB :- 9199931801

उर्मिला देवी 18.2.2019

एवं

श्री गोपाल शरण भारतीय उम्र 49 वर्ष पिता श्री साधु शरण मैनेजिंग डायरेक्टर घरौंदा बिल्डकॉन प्रा० लि० PAN - AACCG2643Q, कार्यालय स्थान G-I Mahadevi Apartment काशीनाथ लेन पूर्वी लोहानीपुर कदमकुआँ पटना-800003 पेशा व्यापार, नागरिकता भारतीय के माध्यम से सम्पादित किया जाता है, जिन्हें आगे डेवलेपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ । Mob 9334110626

यह कि अनुसूची-I में वर्णित सम्पत्ति भू-स्वामी प्रथम पक्ष की खरीदारी जायदाद है जिसे लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने निबंधित दस्तावेज विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 05.12.1989 ई० जिसका बुक नं० 1 जिल्द नं० 23 पेज नं० 323 से 328 वसीका नं० 18194 / 1989 निबंधन कार्यालय गया नविश्ते श्री रामप्रसाद यादव वो श्री किशोरी यादव वो श्री रामप्यारे यादव वो रामविलास यादव पिता स्व० रामभजन यादव निवासी ग्राम कलेर टोला सियाड़ी, थाना मगध मेडिकल कॉलेज जिला गया से क्रय किये थे जिसपर प्रथम पक्ष खरीदारी की तिथि से पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य के साथ उपरोक्त वर्णित सम्पदा पर बहैसियत मालिक के काबिज दखिल वो मालिक मुस्तकिल हुए वो आज तक चले आ रहे हैं ।

Witness Suman Kumar Adhar No 7477565690 94 S/o - Sri Anil Sharma 319, A.P. Colony GAYA 823001 18/2/2019

यह कि उपरोक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची-I में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला व्यवसायिक एवं आवासीय इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जाय :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची-I की जमीन पर बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु स्थानीय प्राधिकार गया नगर निगम से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे ।

2. यह कि प्रथम पक्ष भू-स्वामी और द्वितीय पक्ष डेवेलपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवेलपर वचनवद्ध करते हैं कि अनुसूची-I में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत की संरचना करेंगे ।

4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर (Terrace) का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे ।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि गया नगर निगम/संबंधित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत

Witness Rajesh Kr Sharma S/o Sri Anil Sharma, 9,319 A.P. Colony Gaya. 18.2.2013.

18.2.2013

प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 43 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 57 प्रतिशत हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा ।

6. यह कि डेवेलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान दीर्घ टिकाऊ गुणवता वाले लगाए जायेगें ।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरूप डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तो और बन्धनों के साथ अंकित किया गया ।

8. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जानेवाली इमारत कॉम्पलेक्स का नक्शा, स्वरूप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य (specification) तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए के लिए एक वास्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे । इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाले पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा । यह भी तय हुआ कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर. (F.A.R.) सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् गया नगर निगम एवं सबंधित प्राधिकार को भेजी जाएगी ।

9. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे

कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा गया म्युनिशिपल कॉरपोरेशन एवं संबंधित प्राधिकार से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

10. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा 42 महीने की होगी और उसके बाद कार्यपूर्ण करने का छः महीने का कृपाकाल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित गया नगर निगम एवं संबंधित प्राधिकार द्वारा नक्शा स्वीकृति की तिथि और RERA APPROVAL के पश्चात् से गिनी जायेगी।

11. यह कि उभय पक्ष यानि जमीन मालिक एवं डेवलपर सहमत और वचनवद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 बिहार बिल्डींग बाईलॉज 2016 तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे, जिसमें भू-स्वामी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

12. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत काम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवलेपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 43 प्रतिशित सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के घर/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवलेपर या

उनके नामित को आनुपातिक रूप से उनको 57 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा ।

13. यह कि यथावर्णित "जमीन मालिक का क्षेत्र" पर जमीन मालिक को 43 प्रतिशत का अधिकार होगा जिसका इमारत के निर्माण आरंभ के पूर्व निर्धारण और स्पष्टीकरण किया गया । किन्तु, फ्लैटों में "जमीन मालिक का क्षेत्र" का निर्धारण आपसी मेल-जोल से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटर घर, वाहन क्षेत्र, लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों द्वारा आनुपातिक रूप से उपयोग की जाएगी ।

14. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्याय (Tenements) के द्वारा जो गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन/अन्य प्राधिकार और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरूरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नवत हैं :-

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम से प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना ।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्ति करना ।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना ।

E. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 57 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।

F. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenements इमारत के स्वीकृत नक्शे के अनुसार बनाकर करेंगे तथा भू-स्वामी के 43 प्रतिशत हिस्से को छोड़कर बेचेगें, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेगें जैसे जरूरत हो, वैसी करेगें, ऐसा अधिकार उन्हें "डेवलेपर क्षेत्र" के निर्माण पर होगा जिसे वे उसे उचित समझें बेचें और ऐसे फ्लैट इकाइयों/tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें ।

J. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे गया नगर निगम में सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए

18.2.2019

आवेदन तथा वचनवद्धताओं को डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टयाँ, घोषणाओं, शपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा Statutory कागजातों को गया नगर निगम/ अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं ।

15. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-

(i) कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से सबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने का या कराने का पूर्ण अधिकार है तथा अनुसूची-I भूमि के संबंध में हकियत नुक्श या ऋण भार पाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति हर्जाना या देनदारी जमीन मालिक की होगी तथा जमीन मालिक यह भी आश्वस्त किया कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का नक्शा और प्रारूप का गया नगर निगम से पास करवाने में उनके तरह से कोई रूकावट पैदा नहीं की जायेगी तथा अपेक्षित सहयोग करेंगे ।

16. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तो के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवलेपर इमारत कॉम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का अपने 57 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरित करने के लिए डेवलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे ।

17. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन अपने नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष आपसी सहमति से तय करेगें और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन

किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, गया म्युनिशिपल कॉरपोरेशन/अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुकसान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुकसान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्क या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे ।

18. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनवद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे ।

19. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामितों द्वारा वहन किया जाएगा।

20. गया गया नगर निगम द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति और Rera Approval के पश्चात से छः महीने की कृपा अवधि (Grace Period) के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते हैं अथवा जमीन मालिक को बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूँकि समय सीमा इस मनोबंध्ण का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपत्ति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवेलपर को आपसी सहमति से आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा और जिस दिन से सभी तरह के सेवा कर प्रथम पक्ष को स्वयं भुगतान करना होगा ।

18.2.2019

21. इस मनोबंध की शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अनुपातिक अधिकार होगा ।

22. डेवेलपर गया म्युनिशिपल कॉरपोरेशन/अन्य प्राधिकार के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे ।

23. इमारत की योजना में डेवलपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitory कार्यों जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन/अन्य प्राधिकार की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

24. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे ।

25. प्रस्तावित इमारत गया म्युनिशिपल कॉरपोरेशन/अन्य प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टयों के अनुसार निर्मित होगी।

अनुसूची-I

कुल एराजी 11761 वर्गफीट (ग्यारह हजार सात सौ एकसठ डीसमिल) अर्थात 27 (डिसमील) व्यवसायिक योग्य परती भूमि स्थित ग्राम कलेर, थाना मगध मेडिकल कॉलेज गया, जिला गया, थाना नं० 334, वार्ड नं० 29 अन्दर नगर निगम गया, जिसकी सदर रजिस्ट्री वो कलक्ट्री वो मुन्सफी जिला गया । अंचल कार्यालय चन्दौती।

खाता नं०	प्लौट नं०	एराजी
107 (नया)	1122 (नया)	11761 वर्गफीट
एक सौ सात	एक हजार एक सौ बाईस	0–27 डीसमील

चौहद्दी

उत्तर - चिन्ता देवी
दक्षिण - तोता गोप
पुरब - हरिजन टोला
पश्चिम - गया-शेरघाटी रोड

लेख्य सम्पत्ति का सरकारी मूल्य मुख्य सड़क व्यवसायिक का दिया गया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य मो० 1,72,55,000/– (एक करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार रूपये मात्र) है ।

अनुसूची-II

संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण

ढांचा :- गया नगर निगम द्वारा स्वीकृत आर.सी.सी. फ्रेम ढांचा।

Civil कार्य :- गया नगर निगम द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, बालू एवं मसाला ।

परिसज्जन :- जमीन मालिक के हिस्से की सभी दीवारें तथा भीतरी छत में प्लास्ट ऑफ पेरिस का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें प्लास्टर होगी और स्नोसेम से पुट्टी होगी ।

दरवाजे :- दरवाजे का ढांचा लकड़ी का तथा मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला प्लाई बोर्ड का होगा और उस पर दो तह सिन्थेटिक इनैमेल पेंट होगा । पेंट की गुणवता साधारण से नीचे का नहीं होगा।

खिड़कियाँ :- एल्युमिनियम के फ्रेम में पूर्णतः glazed खिड़कियाँ लोहे के ग्रील के साथ ।

फर्श :- Vertrified tiles फ्लैट के अन्दर समस्त फर्श क्षेत्र में।

शौचालय :- शयन कक्ष से जुड़े शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा । किचेन एवं बाथरूप का जमीन टाईल्स का होगा ।

रसोई घर :- संगमरमर का कार्यकारी Platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 18" ऊँचा रंगीन glazed टाइल्स ।

बिजली व्यवस्था :- मानक बिजली सामग्री के साथ Concealed पी. वी.सी. Conduit wiring सभी शयन कक्ष में एवं ड्राईंग रूप में A.C. प्वाइंट ।

उपर्युक्त Specifications में Promoters/architect द्वारा निर्मित कुछ फेर बदल संभव है ।

अनुसूची-III

फ्लैट की खास विशेषताएँ :-

1. चौबीसो घंटे अपने ट्यूबवेल से जुड़े सामुहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था, सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था ।

2. सामुहिक सेवा के लिए प्रतिक्षारत जेनरेटर ।

3. फ्लैट के अन्दर Concealed बिजली जिसमें ताँबे का तार होगा।

4. बैठकखाने में एक टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं) ।

यह कि यह एकरारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोच समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे ।

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज मे वर्णित भूमि भू-हदबंदी, गैरमजरूआ, लालकार्ड पर्चा एवं भूदान इत्यादि से हासिल नही हैं । साथ ही सरकारी भूमि एवं सिलिंग सूची, धार्मिक न्यास बोर्ड, वक्फ बोर्ड, कैसरे हिन्द से मुक्त है । भविष्य में उपरोक्त के संबध में किसी प्रकार का अनियमितता पाई गई तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष पर होगा ।

उर्मिला देवी 18.2.2019

प्रथम पक्ष जमीन मालिक का हस्ताक्षर

उर्मिला देवी
18-2-2019

द्वितीय पक्ष विकासक का हस्ताक्षर

Gharonda Buildcon Pvt. Ltd.
Managing Director
18.02.2019

प्रारूपकर्त्ता : रामरवेलावन प्रसाद अ० सं० 72/02

तहरीर तारीख : 18/2/2019 सन् 2019 ई०

टंकक : मंगलम् कम्प्यूटर प्रेस, अम्बेदकर मार्केट, गया

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the India Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 346100/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 5000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 362600/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	21000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		

TOTAL- 21000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21500

Date: 18/02/2019

Registering Officer
Gaya

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Gaya on Monday, 18th February 2019 by Urmila Devi W/O Anil Kumar Sharma by profession Others, Status - Executant

3 प्रति/CM1 दी
18/2/2019

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:18/02/2019**

Registering Officer
Gaya

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Suman Kumar' age '40' Sex 'M', 'S/O Anil Kumar Sharma', resident of 'A.P.Colony, Ps-Rampur, Gaya.'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 18/02/2019

Registering Officer
Gaya

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Gaya in Book 1 Volume No. 44 on pages on 1 -15, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-7 year 2019 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 18/02/2019

Registering Officer
Gaya

Token No. : 3093 Year : 2019 S.No. : 3043 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 2964